बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

कामगारों के सुखी खुशहाल जीवन का वादा, सामाजिक हित के साथ आर्थिक सबल बनाने को श्रम संसाधन विभाग का इरादा।

बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनाः

बिहार राज्य के 18 से 65 वर्ष आयु वर्ग वाले प्रवासी मजदूर जो राज्य से बाहर अन्य प्रांतो या विदेशों में जीविकोपार्जन के उद्देश्य से प्रवास कर रहे हैं। उन्हें दुर्घटना के फलस्वरुप स्थायी एवं अस्थायी अपंगता की स्थिति में अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। साथ ही दुर्घटना मृत्यु होने पर उनके वैध आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

अनुदान :

दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में :-

रु0 200000/- (दो लाख) मृतक के आश्रित को।

स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में :-

रु0 100000/- (एक लाख)

स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में :-

रु0 50000/- (पचास हजार)

सभी अनुदान राशि का हस्तांतरण लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है।

दुर्घटना का स्वरुपः

रेल एवं सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्शाघात, सर्पदंश, अग्निजलन, पेड़ या भवन का गिरना, जंगली जानवरों का आक्रमण, आतंकवादी या आपराधिक आक्रमण आदि। स्वयं से लगाया गया चोट एवं आत्महत्या, नशे के कारण लगा चोट और मृत्यु एवं आपराधिक गतिविधियों में हुये क्षति और मृत्यु इस योजना के अंर्तगत नहीं शामिल किया जायेगा।

प्रक्रियाः

अनुदान लेने हेतु आवेदक स्वयं अथवा उनके आश्रित बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत RTPS Counter अथवा Online Portal के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक मे श्रम अधीक्षक के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृत किया जाता है। सभी जिले के श्रम अधीक्षक योजना के प्रभारी पदाधिकारी होते हैं।

आवेदन का निपटारा 44 दिनों में किया जाता है।

श्रम संसाधन विभाग,
राज्य के सभी कामगारों के हितार्थ निरंतर क्रियाशील।

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 296 5656 पर सम्पर्क करें।

/BiharLabourResourcesDept /@LRD_Bihar #BiharGovtInitiative

PR No.- 011455 (LRD)D. 2025-26